निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (संविधिक कानूनी नियम और आदेश) प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(आम चुनाव में प्रयोग हेतु जहाँ सीट के लिये चुनाव लड़ा गया हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

अनूपगढ़-06 (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा-2018 के लिए निर्वाचन -

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्रीमती सन्तोष

पता : वार्ड नं. 2, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर

जो **भारतीय जनता पार्टी** (मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े की गयी हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान : श्रीगंगानगर

तारीख: 11/12/2018

(मनमोहन मीना) रिटर्निंग अधिकारी (SDM) अनूपगढ़-06 (SC)

िडान सम्बन्धिक मिन्द्री हो। विद्यान सम्बन्धिक हो। विद्यान सम्बन्धिक विद्यान सम्बन्धिक हो। विद्यान सम्बन्धिक हो।

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

Form 21 C
(See rule 64)
(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election Under section 66 of Representation of the People Act, 1951

*Election to Legislative Assembly of Rajasthan (State) from Anupgarh-06 (SC) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions entertained in section 66 of the Representation of the People Act. 1951 read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Mrs. SANTOSH

ADDRESS: WARD NO. 2, ANUPGARH, DIST. SRIGANGANAGAR
(Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place: SRIGANGANAGAR

Date: 11/12/2018

(MANMOHAN MEENA)
Returning Officer
(SDM) Anupgarh-06 (SC)

िरदानिय आधिकारी विद्यान समा क्षेत्र अनूपगढ़(06)(SC)